30 मार्च, 2022 कार्यकारी आदेश 2022-09

कार्यकारी आदेश 21 (2021) में संशोधन
इलिनॉय में गृह-हीनता से लड़ने के लिए

जबकि, कार्यकारी आदेश 2021-21 ने गृह-हीनता अंतर-एजेंसी टास्क फ़ोर्स ("टास्क फ़ोर्स"), गृह-हीनता सामुदायिक सलाहकार परिषद ("एडवाइज़री काउंसिल"), और राज्य गृह-हीनता प्रमुख ("चीफ") की स्थापना की; और,

जबकि, COVID-19 संकट ने आर्थिक अस्थिरता की लहरें पैदा की हैं, जिससे इलिनॉयवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा उन पर ही आवास की असुरक्षा के बादल मंडरा रहे हैं; और,

जबकि, इलिनॉय को हमारे राज्य के सुरक्षा जाल को मजबूत करने की जरूरत है ताकि गृह-हीनता, एक दुर्लभ, संक्षिप्त और गैर-आवर्ती अनुभव बन जाए; और,

जबकि, हमारे राज्य के सुरक्षा जाल को मजबूत करने में सफलता के लिए राज्य के प्रयासों के समन्वय की जरूरत होती है ताकि इलिनॉय के पास उन संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता हो जो गृह-हीनता को समग्र रूप से संबोधित करते हैं; और,

जबकि, गृह-हीनता को संबोधित करने की योजना में इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो लोग घरेलू हिंसा की स्थितियों से भाग रहे हैं और जो तस्करी के शिकार हैं, वे अमेरिकी आवासन एवं नगर विकास विभाग (यू. एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट) की गृह-हीनता की परिभाषा को पूरा करते हों;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझे दिए गए कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग करते हुए, कार्यकारी आदेश 21 (2021) को आगे एतद्द्वारा निम्नवत संशोधित करता हूं:

I. **संशोधन**

A. <u>राज्य गृह-हीनता प्रमुख:</u> कार्यकारी आदेश 21 (2021), की धारा 3 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

एक राज्य गृह-हीनता प्रमुख ("चीफ") की स्थापना की गई है जो इलिनॉय मानव सेवा विभाग (llinois Department of Human Services (IDHS)) के सचिव को रिपोर्ट करेंगे और जो lDHS में स्थित है। <u>गृह-हीनता को रोकने और समाप्त करने का इलिनॉय कार्यालय ("ऑफिस") एक रणनीतिक योजना और पहल के कार्यान्वयन की सुविधा के</u>

लिए बनाया गया है। प्रमुख कार्यालय का नेतृत्व करेंगे और कार्यालय IDHS में होगा। प्रमुख, इस टास्क फ़ोर्स की अध्यक्षता करेंगे, सामुदायिक सलाह परिषद की सह-अध्यक्षता करेंगे, और इलिनॉय में गृह-हीनता और अनावश्यक संस्थानीकरण को कम करने, गृह-हीनता का सामना करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानव सेवा सम्बन्धी परिणामों को बेहतर बनाने, और आवासीय स्थिरता प्रदान करने में मदद करने वाले सुरक्षा जालों को मजबूत करने के लिए राज्य के व्यापक प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। प्रमुख, एक गृह-हीनता रोकथाम निर्णय-निर्माता और प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे जिसमें कानूनी, नियम, और बजट के माध्यम से बहु-एजेंसी प्रयास में सहयोग करना और इन गंभीर मुद्दों पर इलिनॉय महासभा, संघीय, और स्थानीय नेताओं के साथ बात करना शामिल है।

B. राज्य योजना: कार्यकारी आदेश 21 (2021) की धारा 4.a. को निम्नवत संशोधित और परिशोधित किया जाता है:

गृह-हीनता का सामना कर रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानव सम्बन्धी सेवाओं को बेहतर बनाते हुए, और आवासीय स्थिरता प्रदान करने में मदद करने वाले सुरक्षा जालों को मजबूत बनाकर, सही मायने में शून्य गृह-हीनता लाने के लक्ष्य के साथ गृह-हीनता और अनावश्यक संस्थानीकरण की समस्या पर ध्यान देने के लिए 1 जून, 2022 ~~30 मार्च 2022~~ तक राज्यपाल और महासभा को प्रदान करने के लिए एक राजकीय योजना तैयार करेंगे।

C. सामुदायिक सलाह परिषद: कार्यकारी आदेश 21 (2021) की धारा 7.a. को निम्नवत संशोधित और पुनरावृत्त किया जाता है:

a. सामुदायिक सलाह परिषद में शामिल होंगे:
   - i. प्रमुख, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, निम्नलिखित अपॉइंटमेंट्स से, किसी अन्य सामुदायिक सलाह परिषद के सदस्य के साथ एक सह-अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
   - ii. गृह-हीनता और/या आवास असुरक्षा के जीवंत अनुभव वाले तीन सदस्य, जिनमें, बिना किसी सीमा के, पूर्व बंधित, सेवानिवृत्त सैनिक, और युवा (16 से 25 वर्ष की उम्र के) शामिल हो सकते हैं। ऐसे सदस्य जिन्हें सामुदायिक सलाहकार परिषद में भाग लेने के लिए नियोक्ता द्वारा अन्यथा मुआवजा नहीं दिया जाता है, उन्हें प्रत्येक बैठक में भाग लेने और उस की तैयारी के लिए $100 प्रति बैठक का मुआवजा प्राप्त होगा।
   - iii. विकलांगिता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
   - iv. परोपकारी निजी वित्त पोषण क्षेत्र से दो सदस्य।
   - v. एक राज्यव्यापी व्यवहार स्वास्थ्य पक्षसमर्थन संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
   - vi. एक राज्यव्यापी आवास पक्षसमर्थन संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
   - vii. स्थानीय देखभाल निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने वाले, कम से कम दो सदस्य।
   - viii. सरकार की स्थानीय इकाइयों (नगरपालिका, काउंटी और/या टाउनशिप) का प्रतिनिधित्व करने वाले, कम से कम तीन सदस्य।
   - ix. घरेलू हिंसा वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
   - x. दो स्वतंत्र सदस्य, जो अन्य नियुक्तियों के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते या न करते हों।

II. बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य अभिकरण की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी

और उसका अर्थ किसी भी राज्य अभिकरण के पुनः समनुदेशन या पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

III. **पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश**

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त करता है।

IV. **पृथक्करणीयता खंड**

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

V. **प्रभावी होने की तारीख**

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा जारी: 30 मार्च, 2022
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास दायर: 30 मार्च, 2022